प्रकाशनार्थ अनुमोदित

उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़: बिलासपुर

युगल पीठ

कोरम : माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्या न्यायमूर्ति
माननीय श्री1 डी.आर. देशमुख, न्यायमूर्ति

रिट याचिका क्र. 4487/2000

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता : आनंद राम टंडन, आयु 34 वर्ष, पिता – ज्ञानी राम, आरक्षक क्र. 685/1193, पुलिस लाइन, दुर्ग।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1. छत्तीसगढ़ राज्य शासन, द्वारा सचिव, गृह विभाग, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)

2. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर (म.प्र.)

3. जिला पुलिस अधीक्षक, दुर्ग।

उपस्थित : श्री अजय श्रीवास्तव, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री उत्कर्ष वर्मा, राज्य के विद्वान उप– शासकीय अधिवक्ता ।

मौखिक आदेश

01 अगस्त 2006 को पारित

न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश **श्री एस.आर.नायक, मुख्य न्यायमूर्ति** द्वारा पारित किया गया।

यह रिट याचिका, म.प्र. पुलिस विनियम (संक्षिप्त में "विनियम") के अधीन पुलिस अधीक्षक, दुर्ग, जिला दुर्ग, उत्तरवादी क्र. 3, के द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रारंभ की गई अनुशासनिक कार्यवाही से उद्भूत हुई है। याचिकाकर्ता, प्रासंगिक समय पर, राज्य के पुलिस विभाग में पुलिस आरक्षक के रूप में कार्यरत था। सेवा के दौरान, याचिकाकर्ता को एक आरोप पत्र तामील किया गया और याचिकाकर्ता के विरुद्ध विरचित आरोप इस प्रकार है :

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> **"विवाहिता पत्नि श्रीमती प्रमिला बाई निवासी सिलतरा के जीवित होते हुए एक अन्य महिला शांति बाई को पत्नि बनाकर रखकर मध्यप्रदेश सिविल सेवक आचरण नियम 1965 के नियम 22 (1) में दिये निहित प्रावधानों का उल्लंघन करना।"**

2. उत्तरवादी क्र. 3 ने याचिकाकर्ता के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होकर, विनियमों के अधीन नियमित विभागीय जाँच किया और उसे आरोप का दोषी पाया। तदनुसार, उत्तरवादी क्र. 3 ने अपने आदेश दिनांक 31-10-1999 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही के रूप में याचिकाकर्ता पर अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की शास्ति अधिरोपित की गई । याचिकाकर्ता ने उत्तरवादी क्र. 3 के उक्त आदेश से व्यथित होकर, पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर, उत्तरवादी क्र. 2, के समक्ष एक प्रशासनिक अपील प्रस्तुत किया । उत्तरवादी क्र. 2 ने आरोप, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर यह निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता-अपचारी के विरुद्ध आरोप त्रुटिपूर्ण रूप से विरचित किया गया था, यह कि इस आरोप को प्रमाणित करने के लिए कोई

विधिक साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता ने पहले विवाह के अस्तित्व में होते हुए दूसरा विवाह किया । मामले के उक्त दृष्टि में, उत्तरवादी क्र. 2 ने आदेश दिनांक 04–02–2000 द्वारा उत्तरवादी क्र. 3 के आदेश दिनांक 31–10–1999 को अपास्त कर दिया। तथापि, ऐसा करते हुए, उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी, उत्तरवादी क्र. 3, को यह आदेश दिया गया कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध उचित आरोप विरचित करके विभागीय कार्यवाही की जाए। उत्तरवादी क्र. 2 ने उसी आदेश में यह भी निर्देश दिया कि अनुशासनिक कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान और अपील के निर्णय तक उस पर शास्ति अधिरोपित होने के बाद याचिकाकर्ता की अपने कर्त्तव्य से अनुपस्थिति को उसके खाते में उपलब्ध अवकाश में समायोजित किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. यह प्रकट होता है कि उत्तरवादी क्र. 2 की अनुमति के अनुसार, उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा दिनाँक 22–03–2000 को पुनः एक नया आरोप विरचित किया गया और उसे याचिकाकर्ता को तामील किया गया। याचिकाकर्ता के विरुद्ध विरचित आरोप इस प्रकार है:–

> **"विवाहित पत्नि श्रीमती प्रमिला बाई निवासी सिलतरा के जीवित होते हुए भी अन्य महिला शांति बाई के साथ सतत रूप से 05 (वर्षों) से रहकर मध्यप्रदेश पुलिस रेगुलेशन के पैरा नंबर 64 की उप कंडिका (2), (3) में दिए गए सेवा शर्तों का उल्लंघन कर संदिग्ध आचरण प्रदर्शित करना। "**

4. इस बीच, याचिकाकर्ता ने, उत्तरवादी क्र. 2 के आदेश दिनांक 04–02–2000 से व्यथित होकर, मध्य प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण, रायपुर पीठ (संक्षेप में "न्यायाधिकरण") के समक्ष मूल आवेदन क्र. 365/2000 संस्थित किया, जिसमें उत्तरवादी क्र. 2 ने उसके विरुद्ध नए सिरे से विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति दी थी तथा याचिकाकर्ता की अनुपस्थिति की अवधि को उसके खाते में उपलब्ध अवकाश

के विरुद्ध समायोजित करने का निर्देश दिया था। उक्त मूल आवेदन का निराकरण न्यायाधिकरण ने आदेश दिनांक 02–05–2000, जो अनुलग्नक पी /1 के रूप में अंकित है, के द्वारा किया था। न्यायाधिकरण ने यह मत व्यक्त किया है कि उत्तरवादी क्र. 2 को विनियमों के विनियम 270 के उप–विनियम (4) के अंतर्गत नए सिरे से जांच हेतु निर्देश देने का अधिकार है।अपनी अनुपस्थिति की अवधि को अपने खाते में उपलब्ध अवकाश से समायोजित करने के विरुद्ध याचिकाकर्ता की शिकायत के संबंध में, न्यायाधिकरण ने यह अवधारित किया है कि चूँकि याचिकाकर्ता ने अपनी उपरोक्त शिकायत के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है, अतएव उक्त शिकायत पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता ने न केवल न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 02–05–2000 की औचित्यता को चुनौती दिया है, बल्कि आरोप पत्र दिनांक 22–03–2000 द्वारा दूसरी विभागीय जांच प्रारंभ करने की वैधता को भी प्रश्नगत किया है।

6. नोटिस की तामील पर, उत्तरवादीगण की ओर से दिनांक 17–04–2001 को जवाब दाखिल किया गया।

7. हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को अनुश्रुत किया । याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पूर्व में विरचित आरोप और वर्त्तमान आरोप पत्र दिनांक 22–03–2000 में विरचित आरोप वस्तुतः समान है और अतएव, दूसरा आरोप पत्र रद्द किए जाने योग्य है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे तर्क किया गया कि उत्तरवादी क्र.2 द्वारा उत्तरवादी क्र.3 के आदेश दिनांक 31–10–1999 को वैध आधार पर अपास्त कर उत्तरवादी क्र.3 को निर्देश दिया जाना चाहिए था कि वह याचिकाकर्ता को बकाया वेतन सहित सभी पारिणामिक लाभ और सुविधा, आर्थिक और अन्य, के साथ सेवा में पुनर्स्थापित करे, और ऐसा करने से इनकार करना स्पष्ट रूप से अवैध है। इसके विपरीत,

विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता का यह तर्क है कि उत्तरवादी क्र. 2 द्वारा नए सिरे से जाँच हेतु निर्देश दिए जाने की शक्ति को विनियमन 270 के उप–विनियमन (4) के उपबंधों के कारण प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है । उन्होंने तर्क किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता गंभीर कदाचार का दोषी था क्योंकि उसने पहले विवाह के अस्तित्व में होते हुए एक रखैल रखा था, किन्तु उत्तरवादी क्र. 2 ने उत्तरवादी क्र. 3 द्वारा अधिरोपित शास्तिको इस तकनीकी आधार पर अपास्त कर दिया कि उचित आरोप विरचित नहीं किया गया था और यह की परिस्थितियाँ इस स्तर पर बकाया वेतन का दावा करने के लिए याचिकाकर्ता के हित में नहीं होंगी, विशेषकर जब उसे नया आरोप पत्र तामील किया जा चुका है और विभागीय जाँच लंबित है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ता को अनुश्रुत कर, हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के प्रथम तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं । विनियम 270 का उप–विनियमन (4) इस प्रकार है :

> **"[(4) पुनरीक्षण प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अधिरोपित शास्ति को माफ़ कर सकता है या परिहार कर सकता है, उसमें फेरफार कर सकता है या उसमे वृद्धि कर सकता है या प्रकरण में नए सिरे से जांच करने या आगे साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है:**
>
> **परन्तु यह कि वह किसी भी आदेश में तब तक फेरफार नहीं करेगा या उसे नहीं उलटेगा जब तक कि संबंधित पक्षकारों को नोटिस तामील ना किया गया हो और उन्हें सुनवाई का अवसर न दिया गया हो]"**

विनियम 270 के उप–विनियम (4) के अनुसार, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा नए सिरे से जांच का आदेश देने की शक्ति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। किन्तु, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि नई जांच का आदेश देने की शक्ति केवल पुनरीक्षण

प्राधिकारी के पास है, न कि उत्तरवादी क्र. 2 जैसे अपीलीय प्राधिकारी के पास। यह तर्क किया गया कि उत्तरवादी क्र. 2 ने अपील का निराकरण करते हुए नए सिरे से जाँच का निर्देश दिया है और अतएव यह अवैध है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का उपरोक्त तर्क सुआधारित नहीं है। जब कोई आदेश अपील, पुनरीक्षण या पुनर्विलोकन का विषय होता है, तो अंततः अपीलीय प्राधिकारी, पुनर्विलोकन प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी, यदि अनुमेय आधार सामने आते हैं, प्रस्तुत आक्षेपित आदेश की समीक्षा करता है। अपीलीय प्राधिकारी स्वयं वह सब कर सकता है जो मूल प्राधिकारी विधि में कर सकता है, जब तक कि उसे विधि द्वारा अन्यथा निर्देशित न किया जाए। कोई भी अनुशासनिक प्राधिकारी की उस शक्ति पर प्रश्न नहीं किया जा सकता कि वह पहले से विरचित आरोप को परित्यक्त करे और सही आरोप विरचित करे और दोषी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करे। यदि उत्तरवादी क्र. 3 स्वयं प्रभावी आरोप पत्र को परित्यक्त कर दोषी के विरुद्ध उचित आरोप निर्धारित कर सकता है और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही कर सकता है, तो अनुशासनिक प्राधिकारी को उपलब्ध ऐसी शक्ति अपीलीय प्राधिकारी को भी उपलब्ध है। किसी भी दृष्टिकोण से देखें तो, तीसरे प्रतिवादी की नई जाँच का निर्देश देने की शक्ति पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता और हमारे सुविचारित मत में यह उचित और विधिपूर्ण था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क में भी कोई सार नहीं है कि पूर्व का आरोप और आरोप पत्र दिनांक 22-03-2000 के द्वारा विरचित वर्तमान आरोप समरूप हैं। जैसा कि ऊपर उल्लेखित आरोपों से अवलोकन किया जा सकता है, पूर्व का आरोप यह था कि याचिकाकर्ता ने श्रीमती प्रमिला बाई के साथ अपने पहले विवाह के अस्तित्व में होते हुए, शांति बाई नामक अन्य महिला को दूसरी पत्नी के रूप में रखा था, जबकि, दिनांक 22-03-2000 के आरोप पत्र में यह आरोप है कि याचिकाकर्ता ने अपने पहले

विवाह के अस्तित्व में होते हुए, एक श्रीमती शांति बाई नामक अन्य महिला को पिछले पाँच वर्षों से अपनी रखैल के रूप में रखा है।

10. तथापि, हम याचिकाकर्ता की शिकायत में यह तथ्य पाते हैं कि चूँकि उत्तरवादी क्र. 2 ने अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश दिनांक 31–10–1999 को अपास्त कर दिया है, अतएव उन्हें याचिकाकर्ता को सेवा में पुनर्स्थापित करना चाहिए था और कम से कम उत्तरवादी क्र. 2 के आदेश तक अर्थात दिनांक 04–02–2000 तक बकाया वेतन और परिणामी लाभों के भुगतान का निर्देश देना चाहिए था। जैसा कि उत्तरवादी क्र. 2 के आदेश दिनांक 04–02–2000 का अवलोकन किया जा सकता है, जिसमें उनका मत है कि आरोप की विरचना ही त्रुटिपूर्ण है। उत्तरवादी क्र. 2 ने भी यह मत व्यक्त किया है कि आरोप को सिद्ध करने के लिए बिलकुल कोई विधिक साक्ष्य नहीं है। यदि यह उत्तरवादी क्र.2 के निष्कर्ष हैं, तो यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि दोषी सभी परिणामी लाभ, वित्तीय या अन्य, के साथ सेवा में पुनर्स्थापित किए जाने का अधिकारी है, जब तक कि यह दर्शित नहीं किया जाता है कि रोजगार से बाहर की अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता–दोषी कहीं और लाभकारी रोजगार में था। विभाग का प्रकरण ऐसा नहीं है। तथापि , यह विचार योग्य है कि चूँकि उत्तरवादी क्र. 2 ने नई जाँच के निर्देश दिए थे और उसी के अनुसरण में, याचिकाकर्ता को दिनांक 22–03–2000 को एक आरोप पत्र जारी किया गया था, अतएव हमारे लिए इस प्रश्न पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि दिनांक 04–02–2000 और 22–03–2000 के बीच की अवधि को क्या माना जाना चाहिए जाए।हम इस प्रश्न को याचिकाकर्ता के विरुद्ध प्रारंभ की गई विभागीय कार्यवाही के समापन के बाद, विभाग द्वारा संबंधित नियमों/विनियमों के अनुसार निर्णित किये जाने हेतु छोड़ते हैं । किन्तु, याचिकाकर्ता दिनांक 31–10–1999, जब उत्तरवादी क्र. 3 ने उस पर अनिवार्य सेवा–निवृत्ति का शास्ति अधिरोपित किया था, से दिनांक 04–02–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2000, जब उत्तरवादी क्र. 2 – अपीलीय प्राधिकारी ने अनुशासनिक प्राधिकारी के आदेश को अपास्त कर दिया था, तक की अवधि के लिए बकाया वेतन पाने का अधिकारी है।

11. परिणामस्वरूप और उपर्युक्त कारणों से, हम उत्तरवादीगण को को 31 अक्टूबर, 1999 से 4 फरवरी, 2000 (दोनों दिनांक सहित) की अवधि के लिए याचिकाकर्ता को बकाया वेतन का भुगतान करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका का निराकरण करते हैं। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, इस रिट याचिका के पक्षकारों द्वारा अपना व्यय स्वयं वहन किया जाए ।

सही /–
मुख्य न्यायमूर्ति

सही /–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायमूर्ति

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

<u>Translated by Shri Kishore Narayan, Adv</u>